श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2016 को पंचायत सरकार भवन, तेलौंछ (चौथम) में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – यथा पंजी।

1. <u>जी0आर0 वितरण :–</u>

जी0आर0 वितरण की समीक्षा की गयी। अंचल अधिकारी, खगड़िया, मानसी गोगरी एवं परबत्ता को निदेशित किया गया कि बैंकों से समन्वय स्थापित कर सभी लाभुकों के खाते में जी0आर0 की राशि भेजवाना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 13.12.2016 को प्रतिवेदित करें कि कितना लाभुकों के खाते में राशि गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी को निदेश दिया गया कि लाभुकों के खाते में राशि भेजे जाने से संबंधित जो भी समस्या है, उसका निराकरण कर लाभुकों के खाते में राशि भेजवाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–अंचल अधिकारी, खगड़िया, मानसी, गोगरी एवं परबत्ता/ अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी)

2. <u>मुख्यमंत्री राहत कोष से खरीद किये गये सामानों का भुगतान :–</u>

गंगा एवं गंडक नदी के बाढ़ के पानी से जिले के खगड़िया, मानसी, गोगरी एवं परबत्ता प्रखंड में प्रभावित परिवारों के बीच मुख्यमंत्री राहत कोष से दूध, पानी आदि के खरीद से संबंधित भुगतान हेतु नाम एवं खाता सं0 के साथ दो दिनों के अन्दर राशि की मांग पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–अंचल अधिकारी, खगड़िया, मानसी, गोगरी एवं परबत्ता)

अंचल अधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य खाद्य निगम खगड़िया के बाढ़ पीड़ितों हेतु चावल क्रय किया गया था और कुछ चावल बचा हुआ है तथा राज्य खाद्य निगम द्वारा वापस नहीं लिया जा रहा है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया को चावल वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–अंचल अधिकारी, खगड़िया/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम खगड़िया)

3. <u>मृतक (अनुग्रह) अनुदान भुगतान :–</u>

सभी अंचल अधिकारी को बाढ़ के पानी में डुबकर मरे व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान हेतु अभिलेख एक सप्ताह के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी)

अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा बताया गया कि मृतक अनुदान के पुराने मामले का 80 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। कुछ पुराने मामले अभी भी भुगतान हेतु लंबित है जिसका संचिका/अभिलेख नहीं मिल रहा है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, अलौली को निदेशित किया गया कि वे स्वयं अलौली जाकर संबंधित कार्यवाहक लिपिक से संचिका/अभिलेख निकलवाये तथा अभिलेख विधिवत जिला स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजवाये। जिस कार्यवाहक लिपिक द्वारा संचिका/अभिलेख इतना दिनों तक लंबित रखा गया है उनके विरूद्ध भी कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजें।

(अनुपालन–अंचल अधिकारी, अलौली / वरीय प्रभारी पदाधिकारी, अलौली)

मृतक अनुदान की समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि छठ पर्व के अवसर पर नदी में तैरने, नौका बिहार करने तथा गहरे पानी में स्नान करने पर प्रतिबंधित तथा धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया था तथा 4 फीट से ज्यादा पानी वाले क्षेत्र को बैरिकेडिंग कराया गया था। इसके बावजूद लोग तैराकी के क्रम में कुछ गहरे पानी में स्थान करने के क्रम में डूब कर मरे है। इसमें धारा 144 का उल्लंघन किया गया है। अतः इस संबंध में मृतक अनुदान की राशि के भुगतान के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखकर मार्गदर्शन की मांग किया जाए।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, खगड़िया)

4. पुनर्वास :–

पुनर्वास के मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि पुनर्वास हेतु अंचल स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सभी अंचल अधिकारी को उनके अंचल में पुनर्वास हेतु लंबित मामलों का प्रस्ताव अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया। उन्हें यह भी निदेशित किया गया कि यदि किसी अंचल अधिकारी द्वारा पुनर्वास हेतु सरकारी जमीन रहते हुए निजी जमीन का प्रस्ताव भेजा जाता है तथा भविष्य में पाया जाता है कि उस अंचल में सरकारी जमीन उपलब्ध है तो संबंधित अंचल अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। साथ हीं सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के प्रमाण–पत्र भेजेंगे।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी)

समीक्षा में पाया गया कि सिलिंग से अधिशेष जमीन के संबंध में जिला राजस्व शाखा से 4 बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, लेकिन अभी तक प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। सभी अंचल अधिकारी को सिलिंग से संबंधित अधिशेष जमीन के संबंध में 4 बिन्दुओं पर मांगे गये प्रतिवेदन दिनांक 17.12.2016 तक जिला राजस्व शाखा में निश्चित रूप से भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया)

5. फसल क्षति :–

फसल क्षति की समीक्षा की गयी। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि फसल क्षति का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया को अधिक वर्षा एवं बाढ़ से फसल की क्षति का विभाग को अलग–अलग प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया /
प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, खगड़िया)

6. दाखिल खारीज :–

अंचल अधिकारी, चौथम को दाखिल खारीज से संबंधित सभी लंबित मामलों को एक सप्ताह के अन्दर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अंचल अधिकारी, चौथम)

7. सामुदायिक भवन–सह–वर्क सेड निर्माण :–

सामुदायिक भवन निर्माण की समीक्षा की गयी। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सामुदायिक भवन–सह–वर्क सेड को अविलम्ब पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को अपने–अपने प्रखंड अन्तर्गत सभी सामुदायिक भवनों का निरीक्षण कर भवन का फोटो खिचकर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी प्रखंड विकास पद0/सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी)

8. अनुमंडल पदाधिकारी, खगडिया एवं गोगरी को कल्याण विभाग से संबंधित सभी संचालित योजनाओं की सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की बैठक बुलाकर समीक्षा कर लंबित सभी योजनाओं को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी)

9. सामाजिक सुरक्षा पेंशन :–

सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सभी प्रकार के पेंशन योजना की समीक्षा की गयी। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पेंशन भुगतान में पंचायत सेवकों द्वारा राशि की कटौती की शिकायत प्राप्त हो रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पेंशन वितरण से संबंधित जितने भी भाउचर पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसका समायोजन नियमानुसार शीघ्र करें। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी को सभी पंचायत सचिव, प्रखंड नाजिर एवं प्रखंड के प्रधान लिपिक की दिनांक 17.12.2016 को एक बैठक बुलाकर पंचायत सचिव द्वारा पेंशन वितरण हेतु ली गयी अग्रिम की राशि तथा उससे प्राप्त सूद की राशि वितरित की गयी राशि एवं उनके खाते में उपलब्ध राशि की जाँच कर प्रतिवेदित करें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सचिव, प्रखंड नाजिर, प्रधान लिपिक को बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया को निदेशित किया गया कि वे सुनिश्चित करें कि फरवरी 2016 से नवम्बर 2016 तक की सभी प्रकार के पेंशन की राशि सभी लाभुकों के खाते में चला जाए। जिस लाभर्थी का खाता नहीं खुला है तथा नाम छुट गया है उसे शिविर लगाकर खाता खुलवाया जाए तथा लाभार्थी के खाते में पेंशन राशि चला जाय इसे सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया)

10. कबीर अन्त्येष्टी अनुदान :–

कबीर अन्त्येष्टी अनुदान की राशि पंचायतों को उपलब्ध कराने का निदेश सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालन– सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया)

11. पारिवारिक लाभ :–

पारिवारिक लाभ योजना की राशि प्रखंडों को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालन– सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया)

12. कन्या विवाह योजना :–

कन्या विवाह योजना अन्तर्गत लंबित मामलों में राशि की आवश्यकता का आकलन कर दिनांक 13.12.2016 को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालन–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, खगड़िया)

13. पंचायत सचिव का वेतन भुगतान :–

क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह शिकायतें मिल रही है कि पंचायत सचिव के दूसरे प्रखंड में स्थानांतरण होने के बाद संबंधित प्रखंड से एल०पी०सी० निर्गत नहीं किये जाने के कारण पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मियों का वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि संबंधित कर्मी के यहाँ बकाया नहीं है तो एल०पी०सी० निर्गत करें यदि कोई बकाया है तो सामंजन अथवा वसूली की कार्रवाई करें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पंचायत सचिव एवं अन्य को दिये गये अग्रिम को योजनावार अलग–अलग कर सूची बनाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

14. शौचालय पूर्णता प्रमाण–पत्र :–

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जो पंचायत खुले में शौचमुक्त हो गया है वहाँ शौचालय पूर्णता प्रमाण–पत्र शिविर लगाकर वितरण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी)

समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि तेलौंछ में मनरेगा/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया था। जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

उप विकास आयुक्त, खगड़िया एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, खगड़िया को नियमानुसार भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– उप विकास आयुक्त, खगड़िया/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, खगड़िया)

15. ग्राम कचहरी मानदेय भुगतान :–

ग्राम कचहरी मानदेय का भुगतान कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालन– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया)

16. लोक शिकायत निवारण :–

लोक शिकायत निवारण की समीक्षा की गयी। जानकारी दी गयी कि बहुत से पदाधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण लोक शिकायत के मामले लंबित है। तीनों PGRO को निदेशित किया जाता है कि जो पदाधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं या प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराते हैं उनका नाम प्रतिवेदित किया जाए ताकि उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किया जा सके।

यह बात प्रकाश में आई है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है, लेकिन संबंधित पदाधिकारी द्वारा उसका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। मामले के कार्यान्वयन हेतु जिलाधिकारी के यहाँ अपील दायर किया जा रहा है जबकि अपील का मामला नहीं बनता है। PGRO द्वारा आदेश पारित के बावजूद संबंधित पदाधिकारियों द्वारा इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। PGRO द्वारा पारित आदेश को गंभीरता से अनुपालन करने तथा PGRO द्वारा पारित आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा में पाया गया कि PGRO के स्तर पर भी बहुत से मामले लंबित है। सभी PGRO को निदेश दिया जाता है कि वे सभी लंबित मामल को नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करें। (अनुपालन–सभी PGRO)

17. खाद्यान्न, किरासन तेल एवं कूपन वितरण :–

खाद्यान्न, किरासन तेल एवं कूपन वितरण की समीक्षा की गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौथम द्वारा बताया गया कि चौथम प्रखंड के 13 पंचायत में से 12 पंचायतों में कूपन वितरण का कार्य हो चुका है। शेष एक पंचायत बांकी है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि दिनांक 11.12.2016 को शिविर लगाकर वितरण कर दिया जायेगा।

खाद्यान्न वितरण के संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौथम द्वारा बताया गया कि माह नवम्बर तक का खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण हो चुका है।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौथम को खाद्यान्न एवं किरासन तेल माह नवम्बर तक का वितरण कराने एवं कूपन का शत प्रतिशत वितरण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौथम)

विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया को चौथम प्रखंड के वरीय पदाधिकारी के स्थान पर किसी दूसरे पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया)

18. शिक्षा विभाग :–

तेलौंछ पंचायत में स्थित विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल एवं पोशाक वितरण की समीक्षा हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चौथम की खोज की गयी तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चौथम अनुपस्थित पाए गए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चौथम से स्पष्टीकरण तथा दिनांक 10.12.2016 का वेतन बन्द करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र निर्गत करने का निदेश विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालन– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया)

19. धान अधिप्राप्ति :–

धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, चौथम एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया अनुपस्थित पाए गए। दोनों पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं दिनांक 10.12.2016 का वेतन स्थगित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र निर्गत करने का निदेश विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालन– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया)

20. <u>आँगनवाड़ी केन्द्र :–</u>

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम को तेलौछ पंचायत में सभी आँगनवाड़ी केन्द्र का नियमित रूप से सही ढंग से संचालन तथा THR का वितरण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया)

21. <u>अन्यान्य :–</u>

उप विकास आयुक्त, खगड़िया को तेलौंछ पंचायत के सभी इंदिरा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कराने तथा उसमें एक तरह के रंग से रंग–रोगन कराने, मनरेगा योजना के संचालन एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी को अपने विभाग से संबंधित सभी योजना को सही ढंग से संचालित कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– उप विकास आयुक्त, खगड़िया एवं सभी विभाग के जिला स्तरीय पदा0)

प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौथम एवं अंचल अधिकारी, चौथम को तेलौछ पंचायत का भौगोलिक जानकारी यथा क्षेत्रफल, जनसंख्या विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, जन वितरण प्रणाली दूकान आदि के संबंध में प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौथम एवं अंचल अधिकारी, चौथम)

ह0/–
जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 114 / विकास, दिनांक 24.12.016

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, खगड़िया / अपर समाहर्त्ता, खगड़िया / सभी PGRO/ अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी / सिविल सर्जन, खगड़िया / जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया / सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, खगड़िया जिला / जिला राजस्व शाखा, खगड़िया / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0, खगड़िया / प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, खगड़िया / विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया / जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया / जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम खगड़िया / सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया / जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, खगड़िया / कार्यपालक अभियंता विद्युत, खगड़िया / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग, खगड़िया / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया जिला / सभी अंचल अधिकारी, खगड़िया जिला / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया जिला / सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया जिला एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान (एन0आई0सी0) खगड़िया / आई0टी0 प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित पदाधिकारी के ई–मेल पर भेजना एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।